

राज्य आशा मेन्टॉरिंग समूह की वर्ष 2010–11 की तृतीय बैठक

दिनांक 22 मार्च 2011 का कार्यवृत्त

राज्य आशा मेन्टॉरिंग समूह की वर्ष 2010–11 की तृतीय बैठक प्रमुख सचिव, परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार **22 मार्च 2011** को पूर्व निर्धारित एजेन्डा के अनुसार सिफ्सा मीटिंग हॉल, समयानुसार प्रातः 11:15 बजे महाप्रबन्धक—प्रशासन की अध्यक्षता में तथा निदेशक एम०सी०एच० की उपस्थिति में प्रारम्भ हुई, जिसमें संलग्न सूची के अनुसार सदस्यगण उपस्थित हुए।

सर्व प्रथम महाप्रबन्धक कम्युनिटी प्रोसेस डॉ० हरिओम दीक्षित द्वारा डॉ० रजनी वेद वरिष्ठ सलाहकार—कम्युनिटी प्रोसेस, एन०एच०एस०आर०सी० दिल्ली का परिचय एवं स्वागत किया गया तत्पश्चात उपस्थित सदस्यों द्वारा अपना एवं अपनी संस्था का परिचय दिया गया।

परिचय के उपरान्त **राज्य सुगमकर्ता श्री साजिद इशतियाक** ने **एजेन्डा बिन्दु संख्या—1** के अनुसार पूर्व में आयोजित आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की 2010–11 की द्वितीय बैठक में लिये गये निर्णयों पर अग्रिम कार्यवाही के बारे में जानकारी दी। एक सदस्य द्वारा प्रधानों के कार्य एवं उत्तदायित्वों के बारे में अभिमुखीकरण किया जाने का सुझाव दिया गया। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि प्रदेश के समस्त तहसीलों पर प्रधान सम्मेलन करवाये गये हैं जिसमें ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वक्षता समिति द्वारा ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम एवं योजनाओं के बारे में अभिमुखीकरण किया गया है। लिये गये निर्णय के अनुपालन में आशा पंचम मॉड्यूल प्रशिक्षण के दिशानिर्देशों को समस्त सदस्यों को ई—मेल के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं।

पॉपुलेशन सर्विसेज इन्टरनेशनल की राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक श्रीमती शुभ्रा त्रिवेदी ने निवेदन किया कि इससे पहले तक वो केयर संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहीं थी परन्तु अब वो पी०एस०आई० संस्था में स्टेट प्रोग्राम मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं तो क्या पी०एस०आई० संस्था को भी राज्य आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप का सदस्य बनाया जा सकता है। सदस्यों द्वारा उनके प्रतिवेदन पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गयी। **श्रीमती शुभ्रा त्रिवेदी** द्वारा सुझाव दिया गया कि जनपदों को राज्य स्तर से एक पत्र इस आशय से भेजा जाना सही होगा कि एक बार जब जनपद स्तरीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की बैठक के आयोजन का निर्णय ले लिया जाये तब उसे बिना किसी विशेष कारण के स्थगित न किया जाये। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों के प्लान ऑफ ऐक्शन पर इन बैठकों में निर्णय लिये जाए उनके कार्यान्वयन स्तर का समय—समय पर आवधिक फीडबैक सदस्यों के संज्ञान में होना चाहिए। उनकी यह भी राय थी कि राज्य आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के वो सदस्य जो जनपदों में आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की बैठकों में

प्रतिभाग करने जाते हैं कम से कम एक अतिरिक्त दिन जनपद में ही रहकर आशा मेन्टोरिंग ग्रुप के सदस्यों का मेन्टॉरिंग के कॉन्सेप्ट पर संवेदीकरण करें। आशा प्रतिपूर्ति राशि भुगतान सम्बन्धित चर्चा के दौरान श्रीमती शुभा त्रिवेदी ने सुझाव दिया कि क्या आशा भुगतान के स्तर एवं उससे सम्बन्धित समस्याओं को जानने के लिए कोई टोलफ़ी दूरभाष नम्बर जैसा सिस्टम प्रारम्भ किया जा सकता है जिसके माध्यम से आशाएँ अपनी भुगतान सम्बन्धित समस्याओं को उपयुक्त अधिकारियों तक पहुँचा सकें।

एजेन्डा बिन्दु संख्या-2 राज्य सुगमकर्ता ने जनपदों में आयोजित आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप से सम्बन्धित संकलित फीडबैक को सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि इन बैठकों में सास—बहू सम्मेलन, कार्य छोड़ कर चली जाने वाली आशाओं का रिपलेसमेन्ट चयन, आशा मासिक बैठक, जच्चा—बच्चा सुरक्षा अभियान, आशा प्रतिपूर्ति राशि भुगतान सम्बन्धित समस्याएँ एवं अगले त्रैमास में आयोजित होने वाली आशा योजना सम्बन्धित गतिविधियों पर चर्चा की गयी।

एजेन्डा बिन्दु संख्या-3 राज्य सुगमकर्ता श्री साज़िद इस्तियाक ने एस०पी०एम०य००—उ०प्र० द्वारा आशाओं के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पॉपूलेशन फाउंडेशन ऑफ इण्डिया के माध्यम से कराये गये आवधिक प्रशिक्षण आवश्यकता आंकलन (ट्रेनिंग नीड असिसमेन्ट) अध्ययन की रिपोर्ट, परिणामों एवं सुझाव से सदस्यों को अवगत कराया। जो आशा से सम्बन्धित चार मुख्य कार्यकलापों— सामुदायिक समन्यवय, बाल स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नियंत्रण पर आधारित था। इस अध्ययन के सार्वभौमिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुये प्रदेश के सभी मण्डलों से जनपदों का चयन किया गया था जिसके रेसपॉन्डेन्ट्स आशाओं के अतिरिक्त चिन्हित दस जनपदों से कुल 20 विकास खण्ड क्षेत्रों का चयन किया गया था तथा हर विकास खण्ड क्षेत्र से 15—15 आशाएँ, 1—1 ए०एन०एम० वर्कर, 1—1 आंगनवाड़ी कार्यकक्षी तथा 15—15 लाभार्थी चिन्हित किये गये। इस तरह कुल मिला कर 300 आशाएँ तथा 20—20 ए०एन०एम० वर्कर तथा 20—20 आंगनवाड़ी कार्यकक्षीयाँ चयनित की गयीं। कुल मिलाकर 640 के सम्पर्क साइज पर यह अध्ययन किया गया।

अध्ययन से सम्बन्धित सुझावों को समस्त सदस्यों को पॉवर प्वॉइन्ट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवगत कराने के साथ—साथ हार्ड कापी भी वितरित की गयीं।

एजेन्डा बिन्दु संख्या-4 राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान से यूनिसेफ के प्रशिक्षण परामर्शदाता श्री मनीष सिंह ने अवगत कराया कि पिछले लगभग तीन महीनों में प्रदेश में 93,000 आशाएँ आशा पंचम मॉड्यूल में प्रशिक्षित हो चुकी हैं तथा फ़िल्मों की मदद से इस प्रशिक्षण की गुणवत्ता में काफी बढ़ोत्तरी हुयी है। सदस्यों का एक मत था कि प्रदर्शित फ़िल्मों के कारण आशाओं में विषयवुस्त के याद रखने की क्षमता में सकारात्मक एवं प्रभाव पड़ा है।

कुछ जनपदों में स्वास्थ्य विभाग का नेतृत्व कमज़ोर होने के कारण वहाँ के प्रशिक्षण की गुणवत्ता उच्च स्तर की नहीं रही है। महाप्रबन्धक कम्युनिटी प्रोसेस ने बताया कि लगभग 50 प्रतिशत प्रशिक्षण बैच का किसी न किसी स्तर से पर्यवेक्षण किया गया है जिसके कारण प्रशिक्षण की गुणवत्ता अच्छी रही है तथा कुछ जनपदों में त्रुटियाँ पाये जाने पर अथवा प्रशिक्षण गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

एजेन्डा बिंदु संख्या-5 पर सदस्यों को अवगत कराते हुए बताया गया कि अब तक प्रदेश के 91 प्रतिशत तहसीलों पर प्रधान सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है, तथा इस विशय पर सदस्यों द्वारा अपने फीडबैक में बताया गया कि इन सम्मेलनों में यह देखने में आया कि प्रधानों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे योजनाओं एवं कार्यक्रमों को विस्तृत से जानने की इच्छा थी एवं काफी उत्सुकता से वो यह जानना चाहते थे कि उनका इन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में विशिष्ट रोल क्या है।

एजेन्डा बिंदु संख्या-6 पर अवगत कराया गया कि आजमगढ़ जनपद को छोड़कर प्रदेश के समस्त जनपदों में सास-बहू सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किये जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में लगभग 50,000 प्रतिभागियों की उपस्थिति रही है जिनमें 60 प्रतिशत सास-बहूओं का प्रतिनिधित्व रहा है तथा एजेन्डा अनुसार हर प्रकार की गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

एजेन्डा बिंदु संख्या-7 पर चर्चा के दौरान **विनोभा सेवा आश्रम** की श्रीमती विमला बहन ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि मेन्टॉरिंग ग्रुप के सदस्य अपने—अपने जनपदों में ही स्वयं मेन्टॉरिंग का काम कर सकते हैं। उनका सुझाव था कि जनपदों को एक पत्र भेजा जाना चाहिए जिसमें उस जनपद के राज्य आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के सदस्य के बारे में जनपद के जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जानकारी दी जाये। उन्होंने आशा मासिक बैठक में प्रतिभाग करने के सम्बन्ध में एक समस्या बताई कि अगर कोई विकास खंड क्षेत्र जनपद मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी पर है तब ऐसे में यात्रा भत्ता की समस्या आती है।

सारथी डेवलपमेंट फान्डेशन के श्री तिवारी ने अपने अनुभवों को बताते हुए कहा कि मेन्टॉरिंग का वास्तविक अर्थ कहीं न कहीं खो गया है तथा जिस प्रकार मेन्टॉरिंग, प्रस्तावना एवं कॉन्सेप्ट नोट के अनुसार होना चाहिए था उस प्रकार नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आशा मेन्टॉरिंग से संबंधित दिशानिर्देशों का स्मरण करते हुए बताया कि उसमें सदस्यों के द्वारा जनपदों में भ्रमण करके आशा मेन्टॉरिंग एवं समर्थित निरीक्षण से सम्बन्धित विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं परन्तु मेन्टॉरिंग का काम उन दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं हो पा रहा है। उन्होंने

बताया कि जिन जनपदों में स्वयं सेवी संस्थाएं सपोर्ट प्रदान कर रही हैं वहाँ पर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में गुणवत्ता देखने में आई है परन्तु उन जनपदों में जहाँ संस्थाओं का सपोर्ट नहीं है वहाँ समस्याएं देखने में आई हैं।

केयर इन्डिया के प्रतिनिधि श्री मनोज ने बताया कि आशा कार्यक्रम से सम्बन्धित फीडबैक सदस्यों की जानकारी में होती हैं परन्तु मेन्टॉरिंग की बैठक में हर बात का खुलेपन से आदान-प्रदान नहीं हो पाता है।

उन्होंने रायबरेली एवं बाराबंकी जनपदों में केयर के माध्यम से आशा कार्यक्रमों में गुणवत्तापरक सुधार लाने हेतु जो गतिविधियाँ की जा रहीं हैं उनक बारे में संक्षेप में जानकारी दी। उनकी राय थी कि राज्य स्तर से जनपदों में आयोजित वी0एच0एस0सी0 एवं आर0के0एस0 की बैठकों के कार्यवृत्त मंगवाए जायें जिससे इनकी गुणवत्ता में सुधार हो सके। उन्होंने कुछ जनपदों में अपनी संस्था के द्वारा प्रदान किए जा रहे सपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कुछ क्षेत्रों में प्रधानों ने ग्राम स्वास्थ्य योजना को सफलतापूर्वक बना कर क्रियान्वित किये जाने के अपने अनुभवों को तहसील सम्मेलनों में उपस्थित प्रधानों को विस्तार से जानकारी दी जिसका प्रभाव यह देखने में आया कि नए प्रधानों द्वारा बाद में दूरभाष के माध्यम से भी एक बेहतर ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने के बारे में पुराने प्रधानों से टिप्प स्लिए गये हैं।

जनपदों में आयोजित होने वाले आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की बैठकों पर चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा संज्ञान मे लायी गयीं कुछ कमियों के परिपेक्ष मे **महाप्रबन्धक कम्युनिटी प्रोसेस एवं बाल स्वास्थ्य डॉ० हरिओम दीक्षित** ने बताया कि ये बैठकें एक सुनियोजित रणनीति के आधार पर पहले राज्य तत्पश्चात जनपदों मे आयोजित की जा रही हैं तथा राज्य स्तर से इन बैठकों का निरन्तर पर्यवेक्षण किया जाता है। परन्तु इसके बाद भी हम केवल 54 जनपदों में ही इन बैठकों को करवा पाने में सफल हो पाए हैं। उन्होंने सदस्यों को विश्वास दिलाया कि इन बैठकों के सफल आयोजन हेतु राज्य स्तर से आवश्यक कार्रवाई एवं पृथक दिशानिर्देश जिलाधिकारी, अध्यक्ष आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप को निर्गत किये जाएंगे। उन्होंने पुनः आशा प्रतिपूर्ति राशि भुगतान के सम्बन्ध में सदस्यों से अनुरोध किया कि वो जब भी ब्लॉकों में जायें आशा मार्स्टर भुगतान रजिस्टर का स्वयं निरीक्षण करें ताकि आशा भुगतान को और पारदर्शी एवं त्वरित बनाया जा सके। कुछ सदस्यों कि राय थी कि वित्तीय मामलों में उनका अभी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करना ही अच्छा होगा।

निदेशक एम०सी०एच० डॉ० पी०के० भागवत के सुझाव पर कि क्या सदस्यगण राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आशाओं के योगदान का डाटा संकलित कर राज्य स्तर को अवगत करा सकते हैं? डॉ० हरिओम दीक्षित की राय थी कि सदस्यगण ब्लॉक पर उपलब्ध आशा पेमेन्ट रजिस्टर

का विश्लेषण कर इस प्रकार का डाटा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं तथा राज्य स्तर पर अनुभवों एवं आवश्यक सुझाव दे सकते हैं। **महाप्रबंधक कम्युनिटी प्रोसेस एवं बाल स्वास्थ्य डॉ० हरिओम दीक्षित** ने स्तनपान से सम्बन्धित अध्यतन डाटा को सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर सभी सदस्यगणों ने लगातार हो रहे सुधार की सराहना की। डॉ० हरिओम दीक्षित ने किशोरावस्था स्वास्थ्य पर चर्चा के दौरान अर्श (एडोलेसेन्ट रिप्रोडक्टिव एण्ड सैक्युअल हैल्थ) योजना के बारे में बताया। उनकी राय थी कि कार्यक्रम किसी भी क्षेत्र से सम्बन्धित हो उसमें निरन्तरता होना बहुत आवश्यक है।

निदेशक एम०सी०एच० डॉ० पी०के० भागवत द्वारा सुझाव दिया गया कि आशा मेन्टॉरिंग हेतु सदस्यों के मध्य जनपदों का निर्धारण कर हर सदस्य को कम से कम एक जनपद सौंप दिया जाए और उस विशेष जनपद के आशाओं की सुपरविजन का उत्तरदायित्व उनका होगा। इस सन्दर्भ में डॉ० भागवत ने यूनिसेफ का उदाहरण देते हुए बताया कि यूनिसेफ जनपदों में अपेक्षित परिणाम न होने के कारण एक समन्वय बैठक यूनिसेफ राज्य प्रतिनिधियों एवं दूसरे विभागों जैसे पंचायती राज, आंगनवाड़ी, समाज कल्याण इत्यादि के मध्य आयोजित की गयी जिसके बाद अपेक्षित परिणाम आने शुरू हो गए थे। एक अन्य बिन्दु पर चर्चा के दौरान डॉ० भागवत ने अपना दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि अब कुछ चिन्हित जनपदों तक ही सीमित हो कर कार्य करने का समय नहीं है बल्कि सारे 72 के 72 जनपदों पर केन्द्रित होने की आवश्यकता है।

निदेशक एम०सी०एच० ने महामाया सचल एम्बुलेंस योजना के बारे में सदस्यों को बताया एवं जानकारी दी कि प्रदेश का शिशु मृत्यु दर 67 से घटकर 63 हो गया है तथा 4 प्वॉइंट की गिरावट अपने में एक उपलब्धि है क्योंकि पहले ये गिरावट केवल 2 प्वॉइंट का ही हुआ करता था।

डॉ० पी०के० भागवत ने कहा कि प्रमुख सचिव-परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक पत्र समस्त जनपदों के जिला अधिकारियों को इस आशय से जाना ठीक रहेगा कि आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की बैठक अवश्य आयोजित की जानी चाहिए तथा किसी भी दशा में बिना किसी विशेष कारण के मीटिंग स्थगित नहीं की जानी चाहिए।

वी०एच०ए०आई० के अधिशासी निदेशक डॉ० जे०पी० शर्मा ने राय रखी कि क्या हम अपने कार्यक्षेत्रों को उन जनपदों तक सीमित रख कर कार्य कर सकते हैं जहाँ स्वास्थ्य सूचकांक निम्न स्तर के हैं। उन्होंने किशोरावस्था स्वास्थ्य एवं पी०एन०सी० पर ध्यान देने की बात कही जिसके उत्तर में महाप्रबंधक कम्युनिटी प्रोसेस एवं बाल स्वास्थ्य डॉ० दीक्षित ने अर्श एवं आई०एम०एन०सी०आई० प्लस कार्यक्रमों के बारे में सदस्यगणों को विस्तृत में जानकारी दी। डॉ० जे०पी० शर्मा ने समुदाय आधारित अनुश्रवण के क्रियान्वयन स्तर को जानना चाहा

जिस पर डॉ० हरिओम दीक्षित ने बताया कि अभी सामुदायिक अनुश्रवण को प्रदेश में क्रियान्वित करने की योजना नहीं है। उन्होंने इस योजना को क्रियान्वित न किये जाने के कारणों को बताते हुए कहा कि जब तक प्रदत्त स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यकतानुसार बढ़ोतरी नहीं होती है तब तक सामुदायिक अनुश्रवण का कोई अर्थ नहीं है। अधिकतर सदस्यों की राय थी कि सामुदायिक अनुश्रवण प्रदेश में प्रारंभ होना चाहिए।

एन०एच०एस०आर०सी० दिल्ली से राज्य आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की बैठक में प्रतिभाग करने आई **वरिष्ठ सलाहकार—कम्युनिटी प्रोसेस डॉ० रजनी वेद** ने बताया कि देश के अधिकतर प्रदेशों में सामुदायिक अनुश्रवण का कार्य चल रहा है तथा हाई फोकस्ड प्रदेशों में केवल उत्तर प्रदेश में ही यह योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है। उन्होंने इस संदर्भ में बताया कि मध्य प्रदेश में मेन्टॉरिंग एवं मॉनिटरिंग दोनों समूहों को एक में विलय कर दिया गया है और ये संयुक्त समूह ही आशा मेन्टॉरिंग एवं मानीटरिंग दोनों प्रकार के उत्तरदायित्वों का निर्वाहन कर रही है। डॉ० रजनी वेद ने कहा कि सदस्यों को कम से कम एक जनपद का भ्रमण अवश्य करना चाहिए एवं जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर्स को भी आशा मेन्टॉरिंग के कॉन्सेप्ट से सम्वेदित करने की आवश्यकता है।

सारथी डेवलेपमेंट फाउन्डेशन के प्रतिनिधि ने कहा कि राज्य आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के सदस्यगणों को जनपदों का भ्रमण करके संज्ञान में आये फीडबैक को राज्य मेन्टॉरिंग बैठक में शेयर किया जाना चाहिए।

ममता के प्रतिनिधि डॉ० काजी एवं श्री महाजन ने अपनी संस्था के कार्यों से सम्बन्धित अनुभवों को बताया कि जिन जनपदों में उनकी संस्था कार्यरत है, वहां आशा गतिविधियों विशेषकर सामुदायिक सर्वेक्षण, आशा मासिक बैठकों इत्यादि के कार्यों का ए०एन०एम० एवं एल०एच०वी० द्वारा उनकी संस्था के पर्यवेक्षकों द्वारा समर्थित सुपरविजन योजना के अन्तर्गत निरीक्षण किया जाता है। आशा एवं ए०एन०एम० तथा एल०एच०वी० की बैठकों को ममता के प्रतिनिधि एवं कर्मचारी फेसिलिटेट करते हैं।

शम्भूनाथ सिंह रिसर्च फाउन्डेशन के प्रतिनिधि ने मिड डे मील की तरह स्वास्थ्य विभाग में भी Ombudsman की नियुक्ति की सिफारिश की एवं अपने अनुभवों को बताते हुए कहा कि इससे मिड डे मील कार्यक्रम के क्रियान्वयन की गुणवत्ता पर काफी सकारात्मक प्रभाव देखने में आया है।

एजेंडा बिंदु संख्या ८ पर दर्ज के दोरान संवयगणों की आम सहमति से निम्नलिखित विधियों को अनली जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की बैठकों के एजेंडा बॉक्स में समीक्षित किये जाने की बात तथा हुई।

१. ल्लॉक आशा मार्टर पेमेन्ट रजिस्टर पर चर्चा।
२. ग्रामीण स्वास्थ्य सुचकांक रजिस्टर पर चर्चा।
३. समस्त आशा योजना सम्बन्धित दिशा निर्देशों का पुनर अवलोकन ५वें पालन किया जाना।

अन्त में बैठक की समाप्ति की घोषणा करते हुए महाप्रबंधक कम्युनिटी प्रोसेस एवं बाल स्वास्थ्य डॉ० हरिओम दीक्षित ने समस्त उपस्थित संवयगणों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

वर्ष 2010–11 में राज्य आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की 28.10.2010 को आयोजित द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

राज्य आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की वर्ष 2010–11 की द्वितीय बैठक प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निर्देशानुसार 28 अक्टूबर 2010 को निर्धारित एजेन्डा के अनुसार सिफ्सा मिटिंग हॉल, 19, ए–विधान सभा मार्ग लखनऊ में समयानुसार प्रातः 11.30 बजे प्रारम्भ हुयी जिसमें संलग्न सूची के अनुसार सदस्य उपस्थित रहे। बैठक की शुरूआत महाप्रबन्धक, प्रशासन की अध्यक्षता में उपस्थित सदस्यों के परिचय सत्र से की गयी।

एजेन्डा बिन्दु संख्या–01 के अनुसार 04 जुन 2010 को आयोजित राज्य आशा मेन्टारिंग ग्रुप की पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त को सदस्यों की आम सहमति के तत्पश्चात अनुमोदित की गयी।

एजेन्डा बिन्दु संख्या–02 के अनुसार मेन्टॉरिंग ग्रुप के समन्वयक के द्वारा 22 जुन से 15 जुलाई के मध्य सम्पन्न हुयी जनपद स्तरीय आशा मेन्टॉरिंग समूह के बैठक के प्रमुख फीडबैक से सदस्यों को अवगत कराया गया। जनपदों में आशा मेन्टॉरिंग के स्वरूप, कॉन्सेप्ट एवं कार्य कलाप से सदस्यों का पुनः अभिमुखीकरण किया गया। कई जनपदों में अंसंतोषजनक कार्य करने वाली आशाओं का चिन्हीकरण किया गया तथा ब्लॉक स्तर से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा ऐसी आशाओं के असंतोषजनक कार्यों के कारणों का संज्ञान लेते हुये उनके निराकरण हेतु प्रयास किये जाने तथा उनको प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण दिया जाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय भी लिया गया कि आशा मासिक बैठकों को आशाओं की क्षमता वृद्धि का प्रयास किया जाये।

बिन्दु संख्या–03 सदस्यों द्वारा आशा योजना सम्बन्धित व्यक्तिगत अनुभवों, फीडबैक एवं सुझावों को समूह के समक्ष प्रस्तुतिकरण के दौरान वी0एच0ए0आई0 संस्था के प्रतिनिधि श्री जे०पी० शर्मा ने बाताया कि उनकी संस्था के कर्मचारी एवं प्रतिनिधि प्रदेश के लगभग 60 जनपदों में कार्यरत हैं जिनसे आशा सम्बन्धित समस्याओं पर चर्चा की जा सकती है ताकि सभी हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) के समन्वय से समस्या का समाधान किया जा सके। केयर इण्डिया, उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं प्रतिनिधि श्रीमती शुभरा त्रिवेदी ने अपने विचार व्यक्त किये कि ब्लाक स्तरीय आशा मासिक बैठकों की समय सारणी राज्य स्तर से आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के सदस्यों को अवगत कराया जाना चाहिये। उन्होने कहा कि जनपद स्तर आयोजित होने वाले आशा मेन्टॉरिंग की बैठकों में आवश्यकता आधारित मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिये। उनके अनुसार आशा मासिक बैठकों में कुपोषण पर विशेष सत्र आयोजित किये जाने चाहिये जिसमें डिमॉन्स्ट्रेशन पद्धति का इस्तेमाल किया जाना चाहिये तथा ब्लाक स्वास्थ्य

एवं शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं सूचकांक रजिस्टर पर आशाओं की क्षमता वृद्धि की जानी चाहिये।

ममता संस्थान के क्षेत्रिय प्रबन्धक एवं प्रतिनिधि श्री सलीम खान ने अपने विचार व्यक्त किये कि सदस्यों को स्वयं अपने स्तर से आशा मासिक बैठक में प्रतिभाग करना चाहिये। **डॉ हरि ओम दीक्षित, महाप्रबन्धक कम्युनिटी प्रोसेस, एस०पी०एम०य००-एन०आर०एच०एम०** लखनऊ ने बताया कि आशा मासिक बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु सदस्यों को राज्य स्तर से पत्र भेजा जा सकता है परन्तु इसमें एक समस्या आ सकती है क्योंकि जनपदों में इन बैठकों के दिनांक एवं दिन समस्त जनपदों में एक समान निर्धारित नहीं होते हैं और स्थानीय कारकों के आधार पर इनकी समय सारणी में बदलाव होते रहते हैं जिनका समय रहते राज्य स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराया जाना हर बार आसान नहीं होता अतः जनपद स्तर पर जिला कम्युनिटी मोबिलाईज़र के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर आशाओं की बैठक की जानकारी मासिक रूप से की जा सकती है। सदस्यों द्वारा इन बैठकों को कई चरणों में आयोजित किये जाने वाली रणनीति की प्रशंसा की गई। श्रीमती शुभरा त्रिवेदी ने बताया कि समान क्षेत्र की आशा एवं ए०एन०एम० की संयुक्त बैठकें आयोजित किया जाना उपयुक्त होगा। चूंकि सामान्यतः मंगलवार को ब्लाकों में ए०एन०एम० की बैठकें आयोजित की जाती हैं, उसी क्षेत्र की आशाओं की बैठकें मंगलवार को ही किया जाना ठीक रहेगा। ममता के श्री सलीम खान ने अस्पतालों में आशाओं के ठहरने एवं सुविधा के लिये रैन बसेरा का निर्माण किये जाने के सुझाव पर विचार व्यक्त करते हुये कहा कि इससे आशाओं की कार्य प्रणाली एवं कार्य निष्पादन में सुविधा होंगी। **डॉ हरि ओम दीक्षित, महाप्रबन्धक कम्युनिटी प्रोसेस,** ने उत्तर देते हुये कहा आशाओं के लिये अस्पताल परिसर में किसी विशेष स्थल को चिन्हित किये जाने के पक्ष में नहीं हैं अपितु रोगियों, गर्भवती माताओं तथा आशाओं के ठहरने के लिये होना चाहिये न कि विशेष तौर पर केवल आशा के लिये। केवल आशाओं के लिये स्थल चिन्हित करने पर स्थल के दुरुपयोग होने की सम्भावना को बढ़ावा मिलेगा।

ममता के श्री सलीम ने अपने अनुभवों को बताते हुये कहा कि वो आशायें जिन्होंने न ही कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है और न ही उनका कार्य संतोषजनक है, ऐसी आशाएँ राज्य से आशा प्रतिपूर्ति राशि सम्बन्धित संशोधित दिशा निर्देश भेजने के बाद अचानक सक्रिय हो गयी हैं। उन्होंने बताया कि जनपदों में स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत के दौरान यह बात संज्ञान में आयी कि उन आशाओं की जगह पर जो स्वेच्छा से कार्य छोड़ कर चली गयी हैं, नयी नियुक्तियों हेतु राज्य स्तर से दिशा निर्देशों की प्रतिक्षा में हैं। **डॉ हरि ओम दीक्षित, महाप्रबन्धक कम्युनिटी प्रोसेस,** ने उत्तर देते हुये बताया कि समस्त जनपदों को कार्य छोड़ कर चली जाने वाली आशाओं एवं उनके स्थान पर नयी नियुक्तियों से सम्बन्धित विस्तृत दिशानिर्देश भेजे जा चुके हैं तथा दिशा निर्देशानुसार कार्यान्वयन वर्तमान में चल रहे प्रधान

चुनाव समाप्त हो जान के बाद प्रारम्भ हो जायेगा। **डॉ० हरि ओम दीक्षित** ने बताया कि समस्त जनपदों से कार्य छोड़ कर चली जाने वाली आशाओं की संख्या एवं सूची राज्य स्तर पर प्राप्त हो चुकी है।

पानी संस्था के प्रतिनिधि **श्री करुनेश मिश्रा** ने बताया कि आशा मासिक बैठकें नियमित आयोजित की जा रही हैं तथा आशाओं को उनकी प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नये दिशा निर्देशानुसार इलैक्ट्रानिकली किया जा रहा है। **डॉ० हरि ओम दीक्षित**, ने बताया कि वर्ष 2011 के नये जनसंख्या मतगणना के अनुसार अतिरिक्त आशाओं की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ सकती है। सदस्यों के इस अनुरोध पर कि उन्हे भी आशा योजना से सम्बन्धित दिशा निर्देश प्रेषित किये जायें **डॉ० हरि ओम दीक्षित**, ने बताया कि सदस्यों को दिशा निर्देश भेजे जायेंगे।

पाथ संस्था के **श्री निर्मल प्रधान** ने संस्था की विभिन्न परियोजनाओं से सम्बन्धित गतिविधियों पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया। उन्होने बताया कि उन जनपदों में जहां श्योर स्टार्ट परियोजना संचालित की जा रही है वहां स्थानीय स्तर पर आशाओं द्वारा ग्रामीण सूचकांक रजिस्टर बनाया गया है जिसमें क्षेत्र से स्वारक्ष्य सम्बन्धित सभी जानकारियां भरी जा रही हैं। उन्होने बताया कि बलरामपुर जनपद में 32 आशाओं के चयन समाप्त कर दिया गया हैं। **डॉ० हरि ओम दीक्षित**, ने बताया कि आशाओं की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया है जिसमें प्रधान को यह अधिकार है कि जो आशायें कार्य नहीं कर रही हैं उसका पंचायत बैठक में निर्णय ले कर मान्यता समाप्त की जा सकती है तथा नवीन आशा के चयन हेतु विभाग से अनुरोध किया जा सकता है। यह भी अवगत कराया गया कि चयनित आशा जब तक प्रशिक्षण नहीं कर लेती है तब तक उसे किसी भी प्रकार का प्रतिपूर्ति राशि नहीं दी जा सकती है।

सारथी डेवलपमैन्ट फाउन्डेशन के प्रतिनिधि **श्री मनीष शर्मा** ने जानकारी दी कि जनपद ललितपुर में सामुदायिकीकरण को बढ़ावा देने के लिये एक “संसाधन समूह” गठित है जिसकी गतिविधियों में आशा पंचम माड़यूल प्रशिक्षण से सम्बन्धित फिल्मों का इस्तेमाल किया जा रहा है। **डॉ० हरि ओम दीक्षित**, महाप्रबन्धक कम्युनिटी प्रोसेस, ने सदस्यों से आशा पंचम माड़यूल प्रशिक्षण जो कि जनपदों में शीघ्र ही आरम्भ कर दी जायेगी, प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर नज़र रखने की अपील की।

श्री जे०पी०शर्मा प्रतिनिधि वालेन्टरी हैल्थ एसोसियेशन ऑफ इन्डिया (वी०एच०ए०आई०) ने अपने फीड बैक के दौरान बताया कि आशा योजना से सम्बन्धित दिशा निर्देश काफी अच्छे हैं परन्तु कुछ जनपदों में उनके कार्यान्वयन में नियमित अनुश्रवण की आवश्यकता है। उन्होने जानना चाहा कि सी०सी०एस०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन एम०एस०डब्लू छात्रों से सहयोग लेने की बात है क्या उनका आवश्यकता अनुसार अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके उत्तर में **डॉ० हरि ओम दीक्षित**, ने बताया कि इन छात्रों को 10–10 दिन का प्रशिक्षण

दिया जाता है। श्री जेपी०शर्मा ने आश्वासन दिया कि राज्य के लगभग 60 जनपदों में जहां उनके नेटवर्क के स्टाफ एवं प्रतिनिधि कार्यरत हैं वो आशा योजना के सफल क्रियावयन में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि आशा प्रशिक्षण माड्यूल के विषय वस्तु में स्वास्थ्य अधिकारों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। उनके अनुसार कुछ जनपदों में अभी भी आशाओं की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान दिशा निर्देशानुसार नहीं हो रहा है। उन्होंने आशा योजना को सुदृढ़ करने के लिये आशा सपोर्ट सिस्टम को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ० दीक्षित, ने बताया कि वर्तमान में कार्यरत ए०एन०एम० जिनका कार्यक्षेत्र वही है जहां आशाएं कार्य कर रहीं के द्वारा आशाओं के कार्य में सपोर्ट किया जाना अच्छा होगा।

भग्नी महिला मण्डल संस्था की प्रतिनिधि डा० निति शास्त्री ने आपसी समन्वय के परिपेक्ष में बताया कि आशा पंचम माड्यूल प्रशिक्षण से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के बीच आपसी समन्वय न होने के कारण उनकी संस्था से नियुक्त एक आशा प्रशिक्षक टी०ओ०टी० लेने से रह गया। उन्होंने बताया कि प्रधानों को कड़े निर्देश दिये जाने चाहिये कि आशाओं का किसी भी दूसरे कार्य में इस्तेमाल नहीं होना चाहिये।

सारथी के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रधानों के अभीमुखीकरण की आवश्यकता है तथा कई जगह आशाओं को उनके स्वयं से सम्बन्धित निर्णयों एवं संशोधित दिशा निर्देशों की जानकारी नहीं हो पाती है। आशा के अच्छे कार्य प्रदर्शन एवं प्रतिष्ठा के आधार पर समुदाय के सदस्य अब उनसे कई प्रकार की आशाएं करने लगे हैं जिनको पूरा कर पाना न ही आशाओं के कार्य क्षेत्र में आता है और न ही आशाएं इनके लिये सक्षम हैं।

डॉ० दीक्षित, महाप्रबन्धक कम्युनिटी प्रोसेस, ने बताया कि शीघ्र ही इस वर्ष तहसील स्तर पर प्रधान सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे जिनमें ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति में आशा का रोल, अन्टाईड धनराशि का उपयोग, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों में विशेषकर सामुदायिकीकरण के क्षेत्र में प्रधानों का रोल, ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करना इत्यादि बिन्दुओं पर प्रधानों का अभिमुखीकरण किया जायेगा।

ग्राम विकास सेवा संस्थान की श्रीमती बहेटी ने गांवों में आशा योजना एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित जागरूकता के लिये दीवार लेखन का प्रस्ताव रखा।

यूनिसेफ के प्रतिनिधि डॉ० ऐबनर डैनियल ने अपने फीड बैक में बताया कि आशाओं को केवल कार्य आधारित भुगतान ही होना चाहिए तथा उनके द्वारा सम्पादित कार्यों के सत्यापन का भी कोई मेकेनिज्म विकसित किया जाना चाहिए। आशा के स्तर पर ग्रामीण सूचकांक रजिस्टर एवं औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि सी०सी०एस०पी० से सम्बन्धित प्रपत्र आशाओं के पास उपलब्ध नहीं हैं।

बिन्दु संख्या—04 पर उपस्थित सदस्यों को आशा भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक स्थानान्तरण प्रणाली से पुनः अवगत कराया गया जिस पर अधिकांश सदस्यों ने बताया कि उनकी संस्था से आच्छादित जनपदों में आशा भुगतान नए दिशा निर्देशानुसार हो रहे हैं।

बिन्दु संख्या—05 पर जनपदीय आशा मेन्टारिंग ग्रुप के सदस्यों का मण्डल स्तरीय अभिमुखीकरण पर आम सहमति बनी जिस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

बिन्दु संख्या—06 पर सदस्यों को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री राजीव एवं श्री मनीष ने जानकारी दी कि शीघ्र ही आशा पंचम मॉड्यूल प्रशिक्षण से सम्बन्धित दिशा निर्देश जनपदों को प्रेषित कर दिये जायेंगे जिसकी एक प्रति मेन्टॉरिंग ग्रुप के सदस्यों को भी भेज दी जायेगी ताकि वो भी अपने स्तर से आशा प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में अपना योगदान दे सकें। सभी सदस्यों को आशा स्तरीय प्रशिक्षण पाठ्य पुस्तिका की एक प्रति वितरित की गयी।

बिन्दु संख्या—07 पर महाप्रबन्धक एस०पी०एम०य०० ڈॉ० दीक्षित, ने जानकारी दी कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित आश मॉड्यूल 06 एवं 07 प्रशिक्षण में प्रमुख फोकस घर आधारित नवजात शिशु देखभाल पर है जिसका अधिकांश हिस्सा राज्य में वर्तमान में संचालित सी०सी०एस०पी० कार्यक्रम में पूर्व से ही आच्छादित हो रहा है।

बिन्दु संख्या—08 पर अन्तिम निर्णय प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, एन०आर०एच०एम० से वार्ता के उपरान्त उनकी सहमति के अनुसार लिया जायेगा।

बिन्दु संख्या—09 पर ڈॉ० दीक्षित, महाप्रबन्धक कम्युनिटी प्रोसेस, ने जानकारी दी कि 15 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2010 के मध्य समस्त जनपदों में जिला स्तरीय सास बहू सम्मेलन आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा तहसील स्तरीय प्रधान सम्मेलन जनवरी 2011 में आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है।

बिन्दु संख्या—10 पर चर्चा के दौरान सदस्यों को बताया गया कि जच्चा बच्चा सुरक्षा महाअभियान के बारे में विस्तृत जानकारी आशाएँ पत्रिका अंक 05 में दी गयी है जिसकी एक—एक प्रति सभी सदस्यों को वितरित की गयी। साथ ही अंक 06 की भी एक—एक प्रति सदस्यों को वितरित किये गये।

बिन्दु संख्या—11 ڈॉ० दीक्षित, महाप्रबन्धक कम्युनिटी प्रोसेस, के जानकारी करने पर सदस्यों ने बताया कि जनपद स्तरीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की बैठकों में प्रतिभाग करने में उन्हे किसी प्रकार की समस्या नहीं है तथा वो या उनके प्रतिनिधि नियमित रूप से इन बैठकों में प्रतिभाग कर रहे हैं।

बिन्दु संख्या—12 पर चर्चा के दौरान जनपदों में आयोजित होने वाली आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की बैठकें 15 नवम्बर से 30 नवम्बर 2010 के मध्य आयोजित किये जाने पर आम सहमति से निर्णय लिया गया जिसके एजेन्डा में निम्नलिखित मुद्दों को सम्मिलित किया जायेगा।

क—नियमित ब्लाक स्तरीय आशा मासिक बैठकें एवं दिशा निर्देशानुसार बैठकों का सदुपयोग।

ख—आशा पंचम माड्यूल प्रशिक्षण में फ़िल्मों के प्रदर्शन पर निगरानी किया जाना।

ग—आशा प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान विशेषकर कार्य आधारित प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान।

घ—सास बहू एवं प्रधान सम्मेलन में सहयोग।

ड.—ग्रामीण स्वारथ्य स्वच्छता समिति में आशाओं एवं प्रधानों की भूमिका।

बिन्दु संख्या—13 पर चर्चा के दौरान डॉ० दीक्षित, महाप्रबन्धक कम्युनिटी प्रोसेस, ने बताया कि अधिकांश शिकायतें उन आशाओं से सम्बन्धित होती हैं जिनका कार्य असंतोषजनक है तथा जो निष्क्रिय हैं। तथापि वारतविक शिकायतों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के करण पिछले कई महीनों से आशा शिकायतों में काफी कमी आयी है।

अन्त में डॉ० दीक्षित, महाप्रबन्धक कम्युनिटी प्रोसेस, ने समरत सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये अनुरोध किया कि आगामी बैठकों में राज्य आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की एकजुटता के लिये सदस्य रवयं प्रतिभाग करें और यदि आने में असमर्थ हों तो ऐसी स्थिति में उनके प्रतिनिधि अवश्य प्रतिभाग करें। बैठक के समाप्त होने की घोषण की गयी।

22.11.2010

Dr. Hari Om Dixit
General Manager (CP)
SPMU-NRHM

STATE FACILITATOR
NATIONAL HEALTH SYSTEM
RESOURCES CENTRE
SPMU-NRHM

Om
18/11/11

**राज्य आशा मेन्टोरिंग ग्रुप बैठक कार्यवृत्त
दिनांक—4 जून 2010**

बैठक स्थल—सिफ्सा सभागार

समय—11:00 बजे

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार राज्य आशा मेन्टोरिंग ग्रुप की पॉचवी/वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली बैठक का आयोजन 4 जून 2010 को सिफ्सा सभागार में निर्धारित समय से प्रारम्भ हुई। संलग्न सूची के अनुसार प्रतिभागियों की उपस्थित रही।

राज्य आशा नोडल अधिकारी डा० हरिओम दीक्षित द्वारा प्रतिभागियों का औपचारिक स्वागत करने के उपरान्त एजेन्डा बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ हुई। सदस्यों द्वारा राज्य आशा मेन्टोरिंग ग्रुप के नये सदस्य पानी संस्थान के प्रतिनिधि श्री करुणेश मिश्रा जी का स्वागत किया गया। तदोपरान्त—

एजेन्डा बिन्दु 1 सर्वप्रथम श्री साजिद इशतियाक, राज्य समन्वयक, एन.एच.एस.आर.सी. द्वारा 28 जनवरी 2010 को आयोजित राज्य आशा मेन्टोरिंग ग्रुप की चौथी बैठक का कार्यवृत्त पढ़ कर सुनाया गया।

एजेन्डा बिन्दु 2 डा० हरिओम दीक्षित द्वारा आशा कार्यक्रम में आशा पेमेन्ट, आशा मासिक बैठक एवं जनपद आशा मेन्टोरिंग समूह सम्बन्धित गाइडलाइन इस वर्ष किये गये संसोधनों पर प्रकाश डाला गया एवं यह भी आश्वस्त किया गया कि सभी संसोधित गाइडलाइन की इलेक्ट्रानिक प्रति ई—मेल से सभी सदस्यों को भेज दी जायेगी और अपेक्षति है कि उनके कार्यरत क्षेत्रों में उनके सहयोग से इन गाइडलाइन के क्रियान्वयन में तेजी आ सकेगी।

एजेन्डा बिन्दु 3 सदस्यों द्वारा जनपदों में आशा कार्यक्रम से सम्बन्धित फीडबैक दिया गया।

सर्वप्रथम ग्राम विकास सेवा संस्थान की प्रतिनिधि सुश्री किरन बहेटी द्वारा निष्क्रिय आशाओं पर कार्यवाही करने की बात कही गई। इस पर डा० दीक्षित ने आशाओं कि निष्क्रियता के कारणों पर चर्चा करते हुए बताया की इस वर्ष राज्य में जो आशायें कार्य छोड़ कर चली गयी हैं उनको चिन्हित किया गया है और उनके स्थान पर नवीन चयन व उनके प्रशिक्षण हेतु भी प्रावधान किया है। अगले चरण में निष्क्रिय आशाओं को सर्वप्रथम क्रियाशील करने के प्रयास किया जायेगा। आशा सम्मेलन के दौरान यह उद्घोषणा की जायेगी कि जो आशाये अपने क्षेत्रों में कार्य नहीं कर रही हैं उन्हें चिन्हित कर हटा दिया जायेगा और प्रधानों को भी इसके सापेक्ष उचित कार्यवाही के लिए पत्र भेजे जायेगे एवं आगामी वित्तीय वर्ष में नवीन आशाओं के चयन व प्रशिक्षण का प्रावधान किया जायेगा।

पानी संस्थान के श्री करुणेश जी ने विभिन्न जनपदो मे आयोजित आशा मेन्टोरिंग समूह की बैठक के सन्दर्भ मे बताया कि प्रथम बैठक तो औपचारिकता मात्र थी परन्तु दूसरी व तीसरी बैठको में चर्चा हेतु अच्छा अवसर प्राप्त हुआ परन्तु बैठक की गुणवत्ता जिलाधिकारी पर निर्भर करती है यदि जिलाधिकारी आशा कार्यक्रम व एन.आर.एच.एम. के विजन से अवगत है तो बैठक मे कोई भटकाव नही होने पाता अन्यथा मात्र औपचारिकता रह जाती है।

मासिक आशा बैठको व आशा पेमेन्ट की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आशाओ की बैठक उनके जनपद मे छोटे समूहो मे उपकेन्द्रवार होती है। और पेमेन्ट मे भी पूर्व की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है।

यूनीसेफ ट्रेनिंग कन्सलटेन्ट श्री राजीव ध्यानी जी ने आशा पंचम माड्यूल की ब्लाक टी.ओ.टी. के दौरान एच.ई.ओ. के साथ हुए अनुभवो पर बताया कि एच.ई.ओ. ने आशा कार्यक्रम को सुदृढ़ करने का प्रयास शुरू कर दिया है और एक समस्या जो ज्यादातर एच.ई.ओ. ने बताई की आशाओ को सी.एच.सी / पी.एच.सी. पर बैठने या रुकने के लिए कोई स्थान नही है जिस कारण आशाओ को दिन भर भटकाना पड़ता है। इस राज्य समन्वयक, एन.एच.एस.आर.सी. ने सुझाव दिया कि जिन सी.एच.सी / पी.एच.सी. पर **रैन बसेरा हेतु कक्ष बने है उन्हे आशा कार्नर की तरह विकसित किया जा सकता है** क्योंकि इन कक्ष का कोई प्रयोग नही हो पा रहा है।

यूनीसेफ से आयी सुश्री रचना, बी.सी.सी. कोर्डिनेटर ने बताया की सम्भवतः जुलाई 2010 मे आशा की पॉचवे माड्यूल की ट्रेनिंग प्रारम्भ हो जाये और ब्लाक टी.ओ.टी. भी 90 प्रतिशत तक हो चुकी है और अब यह जरूरी है कि भारत सरकार एवं अन्य राज्यों से इन उपलब्धियों का डाक्यूमेन्टेशन तैयार करना चाहिए जिसे भारत सरकार और अन्य राज्यों से शेयर किया जा सके। जिस पर डा० दीक्षित ने बताया की इस पर चर्चा की जा चुकी है और राजीव जी इस पर कार्य करेगे।

रचना जी ने ट्रेनिंग नीड असेसमेन्ट की रिपोर्ट को अगली बैठक मे शेयर करने का आग्रह किया जिस पर डा० दीक्षित ने आश्वस्त किया की अलग बैठक मे भारत सरकार की टीम के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जायेगा।

रचना जी ने डा० दीक्षित के निष्क्रिय आशाओं पर कि गई चर्चा पर टिप्पणी करते हुए कहा की आशा को कियाशील करने का वह तो एक प्रयास है पर आवश्यकता है कि कुछ विशेष योजना के तहत यह किया जाये जिस पर पाथ के श्री विकान्त जी ने श्योर स्टार्ट के बस्ती जिले में किये गये आशा,ए.एन.एम एवं वी.एच.एस.सी. के रिवार्ड व रिकगनिशन कैम्पेन मे हुए अनुभवो का उल्लेख करते हुए इसके विस्तृत डाक्यूमेन्ट को अलग से शेयर करने को कहा।

इसके अतिरिक्त रचना जी ने **क्योंकि जीना इसी का नाम है** फिल्म का स्थानीय संसाधनों का प्रयोग कर आशाओं के क्षमता वर्द्धन की बात की इस पर डा० दीक्षित ने कहा कि आशा मासिक बैठक में इसका प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि सम्भवतः जून माह के अन्त तक सभी ब्लाक स्वारथ्य इकाईयों पर टी.वी., वी.सी.डी. पहुचने वाला है जिसका प्रयोग नियमित रूप से पोस्ट डिलवरी वार्ड में किया जाना है।

सुश्री नीती शास्त्री, भगीनी सेवा मण्डल झांसी ने बताया कि कुछ आशाये कार्य कर रही है कुछ नहीं साथ ही जिला कम्यूनिटी मोबलाइजर पर भी बहुत कार्य है उसके पास क्षेत्र में इतना कार्य है कि आशा से मिल कर उसकी मेन्टोरिंग करने का समय ही नहीं है। उन्होंने आशा कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए झांसी जनपद में हुए प्रयासों को भी बताया की वहाँ यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। बुन्देलखण्ड पैकेज में आशाओं को मोबाइल फोन देने की बात हो रही है और साथ ही हस्तशिल्प को भी प्रोत्साहित करने के प्रयास हो रहे हैं।

एजेन्डा बिन्दु 4 आशा पंचम माड़्यूल की अद्यतन स्थिति पर प्रकाश डालते हुए श्री राजीव जी ने बताया कि लक्षित 69 बैच / 1720 ब्लाक ट्रेनर के सापेक्ष 62 बैच की ट्रेनिंग हो चुकी है और 1553 (90 प्रतिशत) लोग प्रशिक्षित हो चुके हैं। आशा प्रशिक्षण में सर्पेटिव सुपरविजन के लिए कुल 300 विजिट संस्थान से 120 विजिट यूनीसेफ से तथा एन.एच.एस.आर.सी. से सहयोग प्राप्त हो रहा है जिससे करीब 1/4 आशा प्रशिक्षण में ब्लाक स्तर पर राज्य स्तर से सीधा सहयोग प्राप्त होगा अन्य सहयोगी संस्थाओं से इस पर चर्चा हो रही है जिससे इस सहयोग को बढ़ाया जा सके। जनपद आशा मेन्टोरिंग समूह के सदस्यों की भूमिका को भी स्पष्ट करने की जरूरत दर्शायी गयी जिस पर डा० दीक्षित ने कहा कि जनपदों को आशा प्रशिक्षण सम्बन्धी भेजे जाने वाले दिशानिर्देशों में इस बात का ध्यान रखा जायेगा।

एजेन्डा बिन्दु 5 जनपद आशा मेन्टोरिंग समूह की तृतीय बैठक से प्राप्त फीडबैक की प्रति का वितरण किया गया साथ ही श्री राजीव ध्यानी जी ने प्रतिभागियों के समक्ष मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डाला।

एजेन्डा बिन्दु 6 जनपद आशा मेन्टोरिंग समूह के सदस्यों के अभिमुखीकरण पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने यह कहा कि अभिमुखीकरण छोटे समूहों में होना चाहिए लो एक लम्बी प्रक्रिया होगी तथा इस पर वित्तीय भार भी अधिक होगा अन्ततः यह निर्णय लिया गया कि **1 दिवसीय सेन्सटाइजेशन कार्यक्रम** किया जाना चाहिए।

एजेन्डा बिन्दु 7 पूर्व राज्य आशा मेन्टोरिंग ग्रुप की बैठक में लिए गये निर्णय कि **जिला कम्यूनिटी मोबलाइजर की ट्रैमासिक बैठक दो बैच में होनी चाहिए** इसकी आवश्यकता पर सहमति सभी सदस्यों ने जतायी परन्तु पूर्व राज्य आशा मेन्टोरिंग ग्रुप की बैठक में लिए निर्णय

का अनुपालन सम्भव नहीं हो पाया है इस पर कार्यवाही करने पर डा० दीक्षित ने सहमति व्यक्त की।

एजेन्डा बिन्दु 8 जनपद आशा मेन्टोरिंग समूह की आगामी बैठक की पाक्षिक अवधि 21 जून से 15 जुलाई तय कि गई और निम्नत एजेन्डा पर सहमति हुई-

- आशा पंचम मॉड्यूल प्रशिक्षण योजना पर चर्चा
- वित्तीय वर्ष 2010-11 आशा सम्मेलन के आयोजन हेतु पूर्व प्रचार प्रसार की योजना पर चर्चा
- आशा योजना से सम्बन्धित जनपदों को प्रेषित नवीन सशोंधित दिशा निर्देशों पर सदस्यों का अभिमुखीकरण एवं आशाओं के सहयोग हेतु पी.एच.सी./सी.एच.सी. के प्रभारी अधिकारियों को समुचित सहयोग प्रदान किये जाने पर चर्चा।

अन्त मे डा० दीक्षित ने वी.एच.एस.सी. से जुड़े अनुभवों को शेयर करने को आग्रह किया जिससे राज्य से जारी होने वाले दिशानिर्देशों का उन अनुभवों को ध्यान मे रखते हुए निर्माण हो और वी.एच.एस.सी. के कियान्वयन को बल मिले।

इसके अतिरिक्त जो राज्य आशा मेन्टोरिंग समूह के सदस्य इस बार उपस्थित नहीं हुये हैं के सम्बन्ध में सभी सदस्य से अनुरोध किया गया कि वे उनसे फोन पर या ई-मेल द्वारा न आने के कारण की जानकारी कर, आगामी बैठक मे भाग लेने का अनुरोध करें।

इसी के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुए डा० दीक्षित ने बैठक समाप्ति की घोषणा की।

20
Sajie
SP-UL
SPMV-NRHM

10/08/11

राज्य स्तरीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की तीसरी बैठक दिनांक

8 अक्टूबर 2009 का कार्यवृत्त

उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की तृतीय बैठक का आयोजन दिनांक 8 अक्टूबर 2009 को राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मीटिंग कक्ष में किया गया। बैठक में संलग्न सूची के अनुसार सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

प्रमुख सचिव महोदय की व्यस्तता के कारण, निदेशक, एम०सी०एच०, डॉ०एस०क०जैन द्वारा बैठक की ओपचारिक अध्यक्षता की गयी। किन्हीं तकनीकी कारणवश बैठक निश्चित समय से 30 मिनट बिलम्ब से प्रारम्भ हुयी।

सर्वप्रथम बैठक में समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया।

एजेन्डा बिन्दु संख्या 1.3 एवं 4 —जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप से सम्बन्धित चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया गया। सदस्यों की यह राय थी कि जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के आयोजन का आमंत्रण राज्य स्तर से प्रेषित किया जाये ताकि जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप में राज्य आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप से नामित सदस्य पूर्व नियोजित कार्यक्रम बनाकर जनपदीय मीटिंग में समयानुसार सम्मिलित हो सकें। इस सन्दर्भ में सदस्यों से उनके प्राथमिकता वाले जनपद/जनपदों की सूची आमंत्रित की गयी जिसके अनुसार सदस्यों को द्वितीय जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की बैठक में सम्मिलित होने हेतु जनपदों का आवंटन किया जा सके। सदस्यों की तरफ से यह सुझाव दिया गया कि जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के आयोजन से सम्बन्धित सूचनाओं के साथ मीटिंग का एजेन्डा भी संलग्न करके भेजा जाये। विनोवा सेवा आश्रम की श्रीमती विमला बहन ने जनपद शाहजहांपुर में आयोजित आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की बैठक का फीडबैक देते हुए बताया कि जनपद के आशा नोडल अधिकारी ने खण्डवार आशा मासिक बैठक की सूचना समस्त सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि आप लोग अपनी सुविधानुसार इन बैठकों में सम्मिलित होकर विभिन्न मुद्दों पर आशाओं का क्षमता निर्माण करें। केयर-इन्डिया संस्था की क्षेत्रीय प्रबन्धक श्रीमती शुभ्रा त्रिवेदी ने बताया कि उन्होंने जिन जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप में प्रतिभाग किया उनमें सदस्यों ने आशा कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की एवं उन मुद्दों को चिन्हित किया जिन पर आशाओं की क्षमता निर्माण एवं वृद्धि की अत्यन्त आवश्यकता है। चर्चा के दौरान सदस्यों का यह भी सुझाव था कि जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के समस्त सदस्यों का आशा मेन्टॉरिंग पर दो दिवसीय अभियुक्तीकरण आयोजित किया जाये। इस सम्बन्ध में डॉ०दीक्षित ने अवगत कराया कि इस वर्ष की पी०आई०पी० में इस प्रकार का प्रस्ताव न होने

के कारण अभिमुखीकरण सम्भव नहीं होगा परन्तु आगामी बैठक के दिशा निर्देशों के साथ मेन्टॉरिंग के विषय पर कन्सेप्ट नोट तैयार कर जनपदों को भेजा जाये।

एन.एच.एस.आर.सी के प्रतिनिधि श्री अरुण श्रीवास्तव ने यह सुझाव दिया कि प्रत्येक त्रैमास में आशा योजना को सुदृढ़ करने हेतु जनपदों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर चिन्हित मुद्दे पर कार्यक्रम अधिकारियों को सहयोग किया जाए। श्री अरुण श्रीवास्तव ने यह भी सुझाव दिया कि जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप हेतु, राज्य आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के सदस्यों को उनकी प्राथमिकता वाले जनपदों में इस प्रकार से नामित किया जाये कि प्रत्येक जनपद हेतु 2-3 सदस्य आशा मेन्टॉरिंग हेतु उपलब्ध हो सकें। जनपदवार तैयार सूची सदस्यों एवं सम्बन्धित जनपद के अधिकारियों को प्राप्त करादी जाये। पाथ संस्था के प्रतिनिधि श्री विक्रांत ने अपनी संस्था द्वारा कराये गये बेस लाइन सर्वे से सदस्यों को अवगत कराते हुए बताया कि लगभग 80 प्रतिशत आशायें सामुदायिक मोबिलाइजेशन का कार्य भली भाँति कर रही है तथा 90 प्रतिशत आशाओं में मातृत्व एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य विषय पर अच्छी समझ बनी हुई हैं और वह समुदाय में अपेक्षित कार्य कर रही हैं।

एन.एच.एस.आर.सी. के उ0प्र0 राज्य के राज्य सुगमकर्ता श्री साजिद ने पावर प्लाइन्ट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र (एन.एच.एस.आर.सी.) एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में किये गये आशा योजना पर राष्ट्रीय अनुश्रवण की रिपोर्ट से सदस्यों को अवगत कराते हुए बताया कि हाई फोकर्स्ड प्रदेशों की तुलनात्मक अध्यन के आधार पर उत्तर प्रदेश में आशा योजना के क्रियान्वयन का स्तर बेहतर है।

एजेन्डा बिन्दु संख्या-2 राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र सिंह ने आशा के 5वें चरण के प्रशिक्षण में अब तक की कार्ययोजना से सदस्यों को अवगत कराते हुए बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आशा पंचम चरण प्रशिक्षण एन.जी.ओ. सदस्यों के सक्रिय योगदान से होना है एवं उनसे आग्रह किया कि वह समर्पित प्रशिक्षकों को चिन्हित करके सूची एस.पी.एम.यू./संस्थान को सौंपने का कष्ट करें। सहभागी शिक्षण केन्द्र के निदेशक श्री अशोक भाई ने यह सुझाव दिया कि एन.जी.ओ. प्रशिक्षकों को केवल ब्लॉक एवं जनपद स्तरीय प्रशिक्षण तक ही सीमित न रखा जाये बल्कि उनकी क्षमता के आधार पर उनको राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भी सम्मिलित किया जाए। प्रशिक्षकों को चिन्हित एवं चयनित करते समय इस आधार को भी ध्यान में रखा जाए कि प्रशिक्षक प्रशिक्षण के दौरान कितना समय दे पायेंगे। डा०दीक्षित की राय थी कि प्रदेश के अन्य राज्य स्तरीय स्वैच्छिक संस्थाओं को भी उक्त प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सम्मिलित किया जाये। श्री अरुण श्रीवास्तव (एन०एच०एस०आर०सी०) ने यह सुझाव दिया कि आशा के 5वें चरण के प्रशिक्षण को प्रारम्भ करने से पूर्व एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित कर ली जाये, कार्यशाला में

एन०एच०एस०आर०सी० एवं एस.आई.एच.एफ.डबलू के मास्टर ट्रेनर्स को सम्मिलित किया जाये जिसमें 5वें चरण के प्रशिक्षण पर एक आम समझ बन सके तथा राज्य स्तरीय टी०ओ०टी० की कार्ययोजना को अन्तिम रूप दिया जा सके। श्री श्रीवास्तव ने एन०एच०एस०आर०सी० द्वारा राज्य स्तरीय टी०ओ०टी० को संचालित कराने में सहयोग का भी प्रस्ताव किया। इन सुझावों तथा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्यों ने सहमति व्यक्त की। इस बात पर भी चर्चा हुयी प्रदेश की आवश्यकता को दृष्टिगत स्टेट आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के विस्तार पर भी विचार किया जाना उचित होगा।

बिन्दु संख्या—5 राज्य आशा नोडल अधिकारी एवं संयोजक—राज्य आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप, डा० हरिओम दीक्षित ने सदस्यों को सम्बोधित करते हुए सुझाव दिया कि जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की द्वितीय बैठक 19 अक्टूबर से 7 नवम्बर के पखवाड़े में कर लिया जाए। आगामी बैठक हेतु प्रस्तावित एजेन्डा पर हुए चर्चा को संक्षेपित करते हुए डा० हरिओम दीक्षित ने निम्नलिखित एजेन्डा बिन्दुओं को सम्मिलित किये जाने पर बल दिया।

- आशा प्रतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित जनपदों को प्रेषित नये दिशा निर्देशों पर सदस्यों का अभिमुखीकरण एवं आशाओं के सहयोग हेतु पी०एच०सी०/सी०एच०सी० के प्रभारी अधिकारियों को समुचित सहयोग प्रदान किये जाने पर चर्चा।
- आशा मेन्टॉरिंग के शब्द को परिभाषित करते हेतु जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग सदस्यों को इसके उद्देश्य, प्रक्रिया एवं अपेक्षित परिणामों एवं सदस्यों की भूमिका पर चर्चा।

अन्त में निदेशक—मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, डा० एस०के० जैन की अनुमति लेने के तत्पश्चात् संयोजक डा० हरिओम दीक्षित ने सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए मीटिंग का समापन किया।


10/8/11

मिशन निदेशक, अध्यक्ष आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की बैठक दिनांक 20 सितम्बर
2008 का कार्यवृत्त

दिनांक 20.9.2008 को प्रातः 11 बजे मिशन निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य
मिशन की अध्यक्षता में परिवार कल्याण स्थित मीटिंग हाल में आयेजित की
गयी।

- आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के सभी सदस्यों संलग्न सूची के अनुसार उपस्थित
थे।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों स्वागत किया, डा०टीसुन्दरमन
निदेशक एन.एच.एस.आर.सी. का विशेषतौर से स्वागत किया गया।
- डा० हरिओम दीक्षित द्वारा सभी प्रतिभागियों को अपनी संस्था/विभाग
सहित अपना सुझाव परिचय देने का अनुरोध के उपरान्त उपस्थित सभी
सदस्यों द्वारा परिचय दिया गया।
- सदस्यों के परिचय के उपरान्त डा०दीक्षित द्वारा प्रदेश में आशाओं की
भौतिक प्रगति एवं उनके प्रशिक्षण की वस्तु स्थित से अवगत कराया
इसके अतिरिक्त स्टेट लेबल आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप के गठन, रणनीति एवं
उद्देश्य के विषय में प्रस्तुतीकरण किया गया।
- अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आशा सममेलन, एवं स्तनपान दिवस में
आशाओं द्वारा किये गये सहयोग से यह विश्वास हुआ है कि यदि
आशाओं को सही दिशा एवं प्रशिक्षण प्राप्त हो तो निश्चित ही स्वास्थ्य
कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी बेहतर हो सकती है।
- अध्यक्ष ने यह द्वारा सुझाव दिया कि सदस्यों को किसी ढाँचे में सीमित
न रखा जाये वे स्वतंत्र रूप से समुदाय, पंचायती राज स्तर पर कार्य करें
इसके लिये किसी चैक लिस्ट की आवश्यकता नहीं है। मेन्टॉरिंग ग्रुप के
सदस्यों का व्यवहार एवं आचरण इस प्रकार का हो कि जब भी सदस्य
आशाओं से मिलें तो आशा को प्रशन्नता हो उन्हें लगे कि उनका कोई
सहयोगी मिलने आया है तथा उसके सहयोग से वे मिल कर खुश हो
सकें। इसके लिये Dedicated एवं Committed एन.जी.ओ. की
आवश्यकता होगी।
- डा०टी०सुन्दरमन निदेशक एन०एच०एस०आर०सी० द्वारा अपने विचार
व्यक्त करते हुये कहा कि मेन्टर शब्द पी०एच०डी० के गाइड एवं गौड
फादर का मिलाजुला स्वरूप है। इसके अन्तर्गत फाल्ट फाइनिंग न हो
कर सिस्टम को बढ़ावा देने वाला तथा सहयोगात्मक होना चाहिये।
सदस्यों से मिल कर आशा को खुशी होनी चाहिये न कि विन्ता। मेन्टर
सदस्यों द्वारा समुदाय एवं सिस्टम के बीच एक पुल का कार्य करने की
आवश्यकता है। प्रशिक्षण कैम्पों में जा कर प्रेरणा देने एवं मासिक बैठक

में जा कर उनके पेमेन्ट के लिये सहयोग हेतु प्रयास की आवश्यकता होगी। सदस्यों द्वारा आशाओं में उत्साह एवं स्वैक्षिक रूप से समुदाय की सेवा करने की भावना जागृत की जानी चाहिये।

- आशाओं से जब भी ग्रुप में चर्चा की जाये तो रचनात्मक एवं संगठनात्मक वातावरण के लिये फोक गीत समूह में गाये जा सकते हैं। महिलाओं में स्वाभिलम्बन की भावना भी उत्पन्न होती है।
- कुछ राज्यों में पी0एच0सी0/सी.एच.सी. पर एक डैरेक्ट की व्यवस्था की गयी है जिससे कि आशा एवं आशा द्वारा रिफर किये गये रोगी की काउन्सिलिंग की जा सके।
- आशा सदस्यों को अच्छे क्षेत्रीय एन.जी.ओ. की पहचान करने तथा उन्हें सहयोग देने के प्रयास भी करने चाहिये। विभिन्न राज्यों में कई प्रकार से पहल की गयी है।
- बैठक में आये सदस्यों द्वारा समुदाय स्तर किये गये सहयोग के बारे में विचार व्यक्त किये।

○ पाथ की सुश्री शिल्पा नायर द्वारा अवगत कराया कि प्रदेश में 7 जनपदों में लगभग 115 ब्लॉकों में उनकी संस्था कार्य कर रही है जिसमें सभी ब्लॉक आच्छादित है। तथा लगभग 40 प्रतिशत गाँव में उनके सदस्य कार्यरत हैं। संस्था द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों की बैठक में सहयोग दे रहे हैं। उनके फेसिलीटेटर लगभग 18 आशाओं से प्रत्येक माह सम्पर्क करते हैं तथा आशा को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों से मैपिंग कराई जाती है तथा इमरजेन्सी ट्रान्सपोर्ट योजना तैयार कराई जा रही है। लगभग 2800 ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों से सहयोग कर रहे हैं।

- डा० नीती शास्त्री, मेनेजर, भगनी मण्डल महिला सहायक संघ झाँसी संस्था द्वारा अवगत कराया कि उनकी संस्था महिलाओं के स्वाभिलम्बन के लिये कार्य कर रही है। जनपद झाँसी में सभी ब्लॉक में नीड बेर्ड शासन/ प्रशासन को स्वास्थ्य,शिक्षा,पर्यावरण, पर्यटन,लोक कला क्षेत्र में सहयोग कर रही है।
- सारथी फाउन्डेशन के निदेशक श्री ए०के०तिवारी द्वारा अवगत कराया कि जनपद,ललितपुर,सीतापुर,शहजहाँपुर में ब्लॉक स्तर पर संस्था द्वारा फोरम,ग्राम स्वास्थ्य सेन्टर,रेड रिबन सेन्टर गठित है जिसमें आशाओं के केपेसिटी बिल्डिंग के साथ-साथ उन्हें बी.सी.सी. हेतु प्रशिक्षक के रूप में बढ़ावा दिया जाता है।
- श्री राकेश कुमार सिंह आर्द्ध सेवा संस्थान मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया कि संस्था जनपद मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर में समुदाय के साथ सहयोग कर रही हैं। संस्था द्वारा विगत वर्षों में जनपद का सी.पी.आर. को 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत बढ़ाया है।

- महिला सामाज्या की निदेशक डा०रशि० सिन्हा द्वारा अवगत कराया कि प्रदेश के 17 जनपदों के 60 ब्लॉक में समुदाय स्तर पर सहयोग, मोटीवेशन, आई०ई०सी० का कार्य कर रही है। आशा स्तर पर उनके मोटीवेशन में कमी का करण है कि उनको पी.एच.सी./सी.एच.सी. स्तर पर अच्छा रिसोर्स नहीं मिलता, तथा किये गये कार्य हेतु प्रोत्साहन धनराशि नहीं समय से नहीं मिलती।
- विनोबा सेवा आश्रम की सचिव सुश्री विमला बहन ने बताया कि उनकी संस्था शहजहाँपुर, पीलीभीत, खीरी जनपद में ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति को एकटीवेट कर रही है इस हेतु यूनीसेफ के सहयोग से यह कार्य कर रहे हैं सीधे रूप से आशा से हमारी संस्था सीधे रूप में अभी सहयोग नहीं कर रही है।
- श्री सम्भूनाथ सिंह रिसर्च फाउन्डेशन वाराणसी संस्था से श्री राजीव सिंह ने अवगत कराया कि 2 ब्लॉक में सी.बी.डी. की सहायता से क्लीनिकल क्षेत्र में सहयोग लिया जा रहा है।
- समस्त सदस्यों का मत था कि गठित आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप की जानकारी समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दी जाये। जिससे कि जब भी जनपद में आशा मेन्टॉरिंग का कार्य करें जिससे कि उन्हें सहयोग मिल सके। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये कि उक्त आशय का पत्र समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेज दिया जाये।

(कार्यवाही डा० हरिओम दीक्षित)
- अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्णय लिया कि स्वैच्छिक संस्थाओं से एक सहमति प्राप्त कर ली जाये कि वे किन-किन जनपदों/ब्लॉक में आशा की मेन्टॉरिंग कर सकेंगे।

(कार्यवाही डा० हरिओम दीक्षित)
- अन्त में अध्यक्ष द्वारा सदस्यों का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया।

(१०/११०८/२०१८)

(१०/११०८/२०१८)